पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विशलेषकों का सम्मेलन : सभागार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज., मुम्बई

दिनांक/समय : 23 मई 2012, सांय 4 बजे (भारतीय मानक समय)

मर्यादक : नमस्कार हमारे विशिष्ट अतिथिगणों । पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से मैं, आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के गरिमामयी परिसर में कंपनी के निवेशकों और विश्लेषकों सम्मेलन में स्वागत करता हूं । इससे पहले कि हम सम्मेलन की कार्यवाही आरंभ करें, मैं आप सभी से राष्ट्रगान के लिए खड़े होने का अनुरोध करता हूं ।

पीएफसी लिमिटेड, जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से एक नवरत्न कंपनी है, विद्युत संसाधनों और इससे संबंधित क्षेत्रों के वित्त–पोषण को समर्पित संस्था है । मुझे, आज इस मंच पर विराजमान अति–विशिष्ट पदाधिकारियों का परिचय देते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। इस सुअवसर पर मैं, आपको परिचित कराना चाहूंगा कि बीच में पीएफसी के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री सतनाम सिंह विराजमान हैं, उनके दाहिनी ओर श्री एम0के0 गोयल, निदेशक(वाणिज्य), श्री गोयल के दाहिनी ओर श्री आर0 नागाराजन, निदेशक (वित्त) और उनके दाहिनी ओर प्रोफेसर अजीत प्रसाद, स्वतंत्र निदेशक विराजमान है। श्री सतनाम सिंह के बांई ओर श्री के0एम0 साहनी, स्वतंत्र निदेशक विराजमान है तथा हमें अभी श्री एस0सी0 गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक के आगमन की प्रतीक्षा है।

मैं, इस सम्मेलन की कार्यवाही आरंभ करते हुए श्री सतनाम सिंह, मुख्य प्रबंध निदेशक, पीएफसी लिमिटेड से सादर अनुरोध करूंगा कि वे परिचयात्मक संबोधन देने का कृपा करें।

श्री सतनाम सिंह : सभी को मेरा नमस्कार और हमारा आमत्रंण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद । पावर सेक्टर बहुत से लोगों की मानसिक चिंता का क्षेत्र है और मैं यहां उनमें

से कम से कम कुछ चिंताओं को दूर करने आया हूं, न केवल आपसे कुछ बातें कह कर बल्कि आपके साथ वो सारी बातें बांट कर जो यह दर्शाती हैं कि भारतीय पावर सेक्टर में क्या कुछ घटित हो रहा है और कैसे, क्योंकि भारतीय पावर सेक्टर में सबसे बड़ी वित्त–पोषण संस्था होने के नाते, हम इस सेक्टर में हो रहे, सभी परिवर्तनों को देखते हैं।

सबसे पहले, वह परिवर्तन, जो हम सभी जानते है – विशाल क्षमता का बढ़ना है । दसवीं योजना की तुलना में ग्यारवीं योजना में क्षमता की बढ़ोत्तरी 21/2 गुना से भी ज्यादा है। और इससे ईधन आपूर्ति संबंधी कुछेक कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं तथा इन स्टेशनों से डिस्कॉमस को विक्रय के लिए भी इनके कारण चिंताएं बढ़ी हैं। क्योंकि डिस्कॉमस की वित्त–पोषण प्रणाली वैसी ही है, जैसी पुराने समय में हुआ करती थी।

अब हम इसे देखते है और समझते कि चिंता का विषय क्या है ? हम इन चिंताओं से कैसे निपट रहे हैं ? आप सभी जानते है कि पहले मुद्दा क्या था, हर कोई जो पावर सेक्टर में कार्यरत था, यह जानना चाहता था कि क्षमता में बढ़ोत्तरी क्यों नहीं हो रही ? और इस बात की आवश्यकता थी कि इस पर जोर दिया जाए । जब इस पर जोर दिया गया और परिणाम सामने आया तो, अब हम कह रहे है कि यह एक बड़ी समस्या है । नहीं ऐसा नहीं है । इस परिवर्तन को हम किस प्रकार देखते है, सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है ।

एक पल के लिए सोचिए कि विश्व के किसी भी क्षेत्र में दो परस्पर निर्भर उद्योग क्या समांतर रह कर विकसित हुए हैं ? क्या किसी के पास कोई भी ऐसा उदाहरण है, जिसमें दुनिया में दो परस्पर निर्भर उद्योग समांतर स्तर पर विकसित हुए हों ? कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है और मैंने ऐसा कोई उद्योग नहीं देखा है । अगर यह प्रगति का रास्ता नहीं है तो, फिर प्रगति का क्या रास्ता है ? यहां प्रगति का मार्ग ऐसा है कि पहले कोई एक उद्योग आगे बढ़ता है और इसके बाद उसके सहयोगी उद्योग में भी उसके समान, उसे कम या उससे अधिक प्रगति होती है । और यही वह बात है जो भारतीय

पावर सेक्टर में हुई है । यहां क्षमता की बढ़ोत्तरी में एक तेजी आई है । हालांकि पावर सेक्टर से जुड़े अधिकांश लोगों द्वारा इसे नकारात्मक माना जा रहा है, किन्तु हम इसे सकारात्मक ढंग से देखते हैं । क्योंकि यह हमें एक संकेत देती है कि क्षमता की बढ़ोत्तरी के साथ, आगामी 20–30 वर्षों में कोयले की खपत बढ़ने वाली है । तो इसका क्या मतलब हुआ ? जब आप जानते है कि यदि किसी वस्तु विशेष की खपत पहले से कही ज्यादा बढ़ रही है तो, यह आपको क्या बताता है, यही न कि उस वस्तु के उत्पादन में तेजी लाने की आवश्यकता है जिसकी मांग आगमी 20–30 वर्षों तक रहेगी । यह नकारात्मक है या सकारात्मक ? कम से कम हम इसे बहुत सकारात्मक समझते है क्योंकि मुझे सौ फीसदी यकीन है कि कोयला उद्योग और रेलवे, इस अवसर का लाभ उठाएंगे और इन दोनों सेक्टरों वृद्धि–दर पहले से कहीं ज्यादा अधिक होने वाली है । ध्यान रहे कि प्रधान मंत्री जी के साथ बड़े विकासकर्ताओं की बैठक के बाद कोयले की आपूर्ति के मुद्दे को उच्चतम स्तर पर ध्यानाकर्षण प्राप्त हुआ है । इस बारे में निर्देश जारी किए गए है कि अपेक्षित मात्रा की कम से कम 80 प्रतिशत मात्रा की आपूर्ति दी जानी चाहिए और इतनी मात्रा के लिए ईधन आपूर्ति के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए तथा इसमें जुर्माने का प्रावधान भी रखा जाना चाहिए । अब सबसे पहले मैं, इस मसले पर आपका विश्वास जीतना चाहता हूं कि यदि 80 प्रतिशत मात्रा की आपूर्ति दे दी जाती है तो क्या होगा ? यदि इतनी मात्रा की आपूर्ति मिल जाती है तो पावर सेक्टर के किसी भी ऋणदाता कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि इस मात्रा के साथ विकासकर्ता संयत्र–भार–कारक के एक स्तर को पाने करने में समर्थ होगा, जिससे उसे ऋण के उन्मूलन हेतु उपयुक्त राजस्व एकत्र करने में सहायता मिलेगी ।

जुर्माने की बात ले तो, ज्यादातर लोग इसे बहुत अति–महत्वहीन बता रहे हैं, अब प्रश्न यह` उठता है कि हम इसके बारे में क्या मानते हैं ? सुबह भी मैं, इस बारे में बहुत वरिष्ठ व्यक्तियों से चर्चा कर रहा था कि ऐसा क्यों है कि लोग जुर्माने को महत्वहीन क्यों मानते हैं ? भारतीय उद्योगों की पुरानी संस्कृति को देखने पर क्या आप ऐसा कोई सार्वजनिक क्षेत्र पाते हैं, जहां संविदा या ठेके को क्रियान्वित न करने के लिए आपको

हरजाना दिया गया हो ? हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी । अब एक ऐसी पद्धति बनाई जा रही है कि जिसमें यह बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र संविदा का क्रियान्वयन न किए जाने के लिए प्रतिबद्ध रहने को तैयार है, चाहें यह कितने भी छोटे स्तर पर क्यों न हो । यदि इस पर सहमति जताई जाती है तो कल्पना कीजिए कि 3 या 5 वर्षों के बाद क्या होगा ? लोग तुलनात्मक रूप से क्षतिपूर्ति के बारे में बात करेंगे और यदि एक विकासकर्ता को विद्युत की आपूर्ति न होने के लिए ''एक्स'' क्षतिपूति का भुगतान करना पड़ता है और विकासकर्ता को कोयले या इस हेतु किसी अन्य ईधन की आपूर्ति न देने के लिए इसका भुगतान करना पड़ता है, तो विकासकर्ता भी कच्चे माल के आपूर्तिदाता से उतना ही जुर्माना मांगेगा । अतः अब इस प्रकार की पद्धति को विकसित किया जा रहा है और इसे नकारात्मक मानने की बजाए सकारात्मक नजरिए से देखा जाना चाहिए था । कोल इंडिया भी ऐसे बहुत कम जुर्माने का भुगतान करने के लिए तैयार हैं और चूंकि यह जुर्माना बहुत कम है, वे आपूर्ति दे भी सकते हैं और नहीं भी और इसीलिए यहां तक कि उनके द्वारा जितनी आपूर्ति देने का वादा किया गया था उसके बारे में भी संदेह है । कम से कम मैं तो यह महसूस करता हूं कि ऐसा नहीं होगा । आप जो भी कुछ दे चाहे वह बहुत थोड़ा जुर्माना हो या अत्यधिक जुर्माना, जुर्माना तो जुर्माना है । इसे कोल इंडिया द्वारा उस सीमा तक कार्य–निष्पादन न करने का नतीजा ही माना जाएगा ।

इस बात के होते हुए कि कोयले की आपूर्ति को लेकर विभिन्न मुद्दों के समाधान में समय लग रहा हैं, भारत सरकार ने पहले ही यह प्रस्ताव रख दिया है कि वह एक कोयला–विनियामक नियुक्त करने जा रही है । अब एक पद्धति बिना विनियामक वाली है और दूसरी विनियामक वाली । हमारा यह अनुभव रहा है कि जहां कहीं भी विनियामक नियुक्त किया गया है, समय बीतने के साथ कुल मिलाकर इसका फायदा उपभोक्ताओं को ही मिला है । यही वह बात है जिसकी कोयला क्षेत्र में अपेक्षा की जानी चाहिए ।

एक और प्रवृत्ति जो आकर्षक रूप से दिखाई दे रही है, वह है निजी क्षेत्र की तेजी से बढ़ती भागदारी। हम सभी जानते है कि 10वीं योजना में यह भागीदारी 9 प्रतिशत थी और

11वीं योजना में इसके 30 या 31 प्रतिशत होने की संभावना थी, लेकिन वास्तव में यह 42 प्रतिशत हो गई है। अब 12वीं योजना में यह लक्ष्य 55 से 60 प्रतिशत के बीच हो सकता है। मुझे यकीन है कि 12वीं योजना में यह और अधिक ऊंचा होगा क्योंकि 06 जनवरी 2011 से निजी क्षेत्र की परियोजनाओं और सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं दोनों की बीच प्रतियोगी–बोली को आरंभ किया गया है। अब सोचिए कि प्रतियोगी बोली में परियोजनाओं को हासिल करने के लिए कितनी सरकारी विद्युत कम्पनियां सर्वसुविधायुक्त हैं। मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा परियोजनाएं जो कदाचित सरकारी विद्युत कंपनियों दे दिए गए होते, निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा हासिल कर लिए जाएंगे और इसीलिए मैं कहता हूं कि निजी क्षेत्र का योगदान और अधिक बढ़ने जा रहा है।

अब प्रश्न यह है कि कुल मिला कर, हमारे और जनता के लिए इस सबका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ है ज्यादा दक्षता और विद्युत की प्रतियोगी कीमतें, जैसा कि हमने अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं में महसूस किया था । वे लोग जिन्हें इन परियोजनाओं से सीखने का सुअवसर प्राप्त हुआ था, उन्होंने वर्तमान दरों को और कम करने में, निर्माण–कार्य समयावधि को घटाने में और दक्षता के उच्चतर मानदंड हासिल करने में सफलता प्राप्त की है । इसी प्रकार स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं की बात लें तो मेरे विचार में इनमें से 12 की पहचान हो चुकी है, 8 का ठेका दिया जा चुका है, जिनमें से 4 हमारे द्वारा और शेष 4 आरईसी द्वारा ठेका दिया गया है। हमारा अनुभव है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के नियमों की तुलना में दरों में लगभग 20 से 40 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो कि उन दरों से बहुत प्रतियोगी रही हैं, जो अब तक हम चुकाते आ रहे थे ।

अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना पर, आप में से कई के मन में चिंताए होंगी कि उपरोक्त 4 के अलावा आगे यहां कोई गतिविधि नहीं होगी। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि विगत 10 जनवरी को उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह ने यह दिशा–निर्देश दिए थे कि दो परियोजनाएं – छत्तीसगढ़ और ओडिशा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांटो में, उसी समय

पुराने दस्तावेजों में कुछेक संशोधन करके, उनके आधार पर पीएफसी आगे कार्रवाई आरंभ कर सकती है और ऐसा ही हमने किया। परंतु इस मामले में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उठाए गए मुद्दे के कारण, हम समय पर शुरूआत नहीं कर पाए। हमें दी गई तिथियों को कई बार आगे बढ़ाना पड़ा, मेरे विचार में 6–7 बार ओडिशा के लिए और 10 बार छत्तीसगढ़ के मामले में। परंतु ओडिशा में, जैसा कि आप जानते है हमने आरएफक्यू की प्रक्रिया पूरी कर ली है और हमारा मूल्यांकन तैयार है। हमें विद्युत मंत्रालय से नए दस्तावेजों की प्रतीक्षा है। मैं, आपको यकीन दिलाता हूं कि विद्युत मंत्रालय इन मुद्दों पर तेजी से काम कर रहा है। अतः जब कभी ये दस्तावेज पूर्ण कर लिए जाते हैं, हम ओडिशा के लिए आरएफपी लाने के लिए समर्थ हो जाएंगे। चैय्यूर अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना जो कि मुन्द्रा और कृष्णापट्टनम द्वारा व्यक्त समस्याओं के कारण आयातित कोयले पर आधारित है, इसमें भी कुछेक संशोधन किए गए हैं। मैं नहीं जानता कि इसमें क्या संशोधन होंगे, लेकिन जब आयातित कोयले पर आधारित अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के लिए एक बार संशोधित दस्तावेज बन जाते हैं तो, हम आरएफपी जारी करने की स्थिति में होंगे ।

एक अन्य चिंता का विषय है डिस्कॉमस की आर्थिक स्थिति और वो भी तब जब क्षमता में बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है । अब सबसे पहली संतोषप्रद बात, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यह है कि हम पिछले 25 वर्षों से राज्य स्तरीय विद्युत कंपनियों को उधार देते आ रहे हैं और यह उधार की आपूर्ति शून्य से 1,30,000 करोड़ रुपए तक की है। निसंदेह यह आंकड़े न केवल राज्य स्तरीय क्षेत्रों के लिए है, बल्कि कुल मिलाकर लिए गए हैं । राज्य स्तरीय क्षेत्र में हमारे पास बट्टे खाते में डालने के लिए डूबते ऋण शून्य के स्तर पर हैं । कुछ समय पहले तक राज्य स्तरीय क्षेत्र में केवल एक कंपनी– अर्थात बिहार राज्य हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के साथ हमारा एनपीए था । यह भी केवल बिहार में लागू मनी लाउन्डरिंग एक्ट की किसी विशेष व्याख्या के कारण हुआ, जिसका समाधान हो चुका है और हमें अपना धन वापस मिल चुका है। अब तक राज्य स्तरीय क्षेत्र में हमारे पास कोई डूबते ऋण नहीं है। अतः यह मानना कि आर्थिक स्थिति ऐसी है कि इससे सभी

परिसंपत्तियां निष्क्रिय हो जाएंगी, गलत है। कम से कम मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नही है कि राज्य स्तरीय विद्युत कंपनियों में से सबसे निम्नतर कंपनी ने भी एक या अधिक यूनिट बिजली खरीद कर विकासकर्ता को भुगतान न किया हो। हालांकि हमने इसमें देरी के बारे में सुना है। भुगतान न करने का मतलब है कि हम आपसे बिजली लेंगे लेकिन आप जो चाहते है, उसका भुगतान नहीं करेंगे। नहीं सरकारी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। अतः यदि इन दोनों पहलुओं पर विचार किया जाए तो, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वहां जो भी कुछ हो रहा है, वह उपयुक्त है, किन्तु इस बात से कुछ अच्छा अनुभव तो होता है कि चीजें उतनी बुरी नहीं है, जितनी की महसूस हो रही हैं ।

ऐसी बहुत से नई पहल है जो कि क्रियान्वित की जा रही है और एक ऐसी ही पहल, जो हम प्रमुख एजेंसी होने के नाते कार्यान्वित कर रहे हैं, उसका नाम है ''रिस्ट्रक्चरड एपीडीआरपी योजना''। इसका लक्ष्य है विद्युत क्षेत्र में वितरण संबंधी हानियों को कम करना। भारतीय विद्युत क्षेत्र के इतिहास में पहली बार आधुनिकतम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की कोशिश की गई है। हमने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में खुद को पहला और दूसरे दर्जे का माना, किन्तु विद्युत क्षेत्र में हानियों को कम करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को प्रयोग करने का कभी नहीं सोचा था। परंतु इस योजना के अंतर्गत अब हम ऐसा करने जा रहे हैं । इस योजना में 1400 नगर शामिल हैं। हमने इस योजना का क्रियान्वन 2009 के शुरू में आरंभ किया था और अब तक 194 नगरों को मैकेनाईज्ड पद्धति के आधार पर संबद्ध किया जा चुका है । इस का अर्थ है कि आधार संरचना, जो कि अत्यावश्यक है, में परिवर्तन न होने के बावजूद भी कंपनियां प्रशासनिक उपाय करके, हानियों को कम कर सकती हैं । इन्हीं उपायों का प्रयोग करके विभिन्न राज्यों ने हानियों को कम कर लिया है, जिसमें आंध्र प्रदेश के 22 नगरों में 1 से 10 प्रतिशत, कर्नाटक के 22 नगरों में 2 से 13 प्रतिशत, गुजरात के 19 नगरों में 1 से 10 प्रतिशत और मध्य प्रदेश के 16 नगरों में 1 से 10 प्रतिशत की गिरावट आई है । इसीलिए इस दिशा में तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

कहना न होगा कि केन्द्र सरकार, इस आशय से हमें प्रोत्साहन दे रही है कि इस योजना के 2 भाग है – भाग ए और भाग बी । मुझे यकीन है कि आप यह जानते हैं क्योंकि यह समाचार हमारी और से कई बार अखबारों में प्रकाशित हो चुका है । योजना का भाग–ए 100 फीसदी अनुदान वाला है, बशर्ते कि संबंधित पावर कंपनियां निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण कर लेती है। योजना के भाग–बी में 50 प्रतिशत का अनुदान है, यदि लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाती है। अतः इस प्रकार क्रियान्वित होने वाली यह एक बड़ी योजना है, जिसका लक्ष्य हानियों को घटाना और कंपनियों के राजस्व को बढ़ाना है ।

इसी प्रकार अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय भी है, जो यह कहता है कि राज्यों में विनियामकों को दरें स्वतः बढ़ाने का अधिकार प्राप्त है, यहां तक कि यदि संबंधित डिस्कॉम द्वारा वार्षिक राजस्व वसूली विवरण या याचिका प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो भी। इससे से परिणाम हासिल हो रहे हैं । वर्ष 2011–12 के लिए हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, जो दर्शाते है कि केवल 15 राज्यों ने दर संबंधी याचिका प्रस्तुत की थी । वर्ष 2012–13 के लिए 23 राज्यों ने दर संबंधी याचिका प्रस्तुत कर दी है । अब जबकि वे एक बार दर संबंधी याचिका प्रस्तुत कर देते हैं ता, समय के साथ दरों में भी वृद्धि होगी। और आप यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम और बैंक दोनों ने मिल कर जब पावर कंपनियों पर जोर देना शुरू किया तो, उन्होंने दरें बढ़ाना आरंभ कर दिया । ऐसा तमिलनाडू सहित बहुत से राज्यों में हुआ । किसी ने भी नहीं सोचा था कि तमिलनाडू में दरें 37 प्रतिशत तक बढ जाएंगी, जो कि अब एक यर्थाथ है । समय बीतने के साथ दरों में ऐसी बढ़ोत्तरी से राज्य पावर कंपनियों की आर्थिक स्थिति में निश्चित ही सुधार आएगा।

हम यह भी बता दें कि डिस्कॉमस के लिए, हम सख्त ऋण संबंधी मानदण्ड लेकर आएं हैं जो पिछले समय से बहुत अधिक सख्त हैं । इसमें बहुत से ऐसे मानदण्ड हैं, जो हमें ऋण देने से पहले सुनिश्चित करने हैं । ऋण प्रदान करने से पहले के 5 मानदण्ड और ऋण प्रदान करने के 6 माह के भीतर, ऐसे 9 मानदण्ड प्रत्येक डिस्कॉम के द्वारा पूर्ण किए

जाने हैं, जिसके बाद वे हमसे निरंतर सहायता ले सकते है, जिसका एक सकारात्मक प्रभाव होगा ।

शुनग्लू समिति की रिपोर्ट पहले ही योजना आयोग को प्रस्तुत की जा चुकी है और शुनग्लू समिति की सिफारिशें, जो डिस्कॉमस की आर्थिक स्थितियों को सुधारने पर पुनः केन्द्रित हैं, विचाराधीन हैं । आप जानना चाहेंगे कि ये कब तक क्रियान्वित होगी । मैं फिलहाल इस पर कोई भी टिप्पणी देने की स्थिति में नहीं हूं, परन्तु मुझे इस पर जल्द ही कार्रवाई की आशा है ।

भारत सरकार ने इस वर्ष मार्च में अपना बजट प्रस्तुत करते समय, यह घोषणा करते हुए कि भारतीय विद्युत क्षेत्र की ओर सकारात्मक नजरिया व्यक्त किया है कि विद्युत क्षेत्र को अब उद्यम–पूँजी–निधि में शामिल कर लिया गया है, ईसीबीएस पर कर को 3 वर्षों के लिए 20 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, विद्युत क्षेत्र को 10,000 करोड़ रुपए के कर से छूट प्राप्त बांड का आवंटन किया गया है, विद्युत कंपनियों को ईसीबी के माध्यम से रूपयों का ऋण आंशिक आधार पर देने की अनुमति दी गई है और अर्हता प्राप्त वित्तीय संस्थानों में निवेशकों को कॉर्पोरेट बांड बाजार में निवेश की अनुमति दी गई है । यही वो पांच संशोधन है, जो सरकार की ओर से अच्छे संकेत है और विद्युत क्षेत्र की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं ।

राष्ट्रीय विद्युत निधि एक ऐसी योजना है जिसे मंत्री मंडल द्वारा सभी शहरों के लिए अनुमोदित किया गया है, जो ''रिस्ट्रक्चरड एपीडीआ.पी योजना में शामिल नहीं हैं । इसका तात्पर्य है कि यदि पावर कंपनियां ''रिस्ट्रक्चरड–एपीडीआरपी'' के अंतर्गत आने वाले शहरों के अलावा अन्य शहरों में हानियों को कम करने का निर्णय लेती है तो, उन्हें रियायती निधियां सुलभ कराई जाएंगी । मेरा माना है कि ऐसा 3 से 7 प्रतिशत अनुदान ब्याज दर पर किया जाएगा, जो कि उन क्षेत्रों में वितरण हानियों को कम करने में उनकी फिर से मदद करेगा । यह सब कह कर, मैं यह महसूस करता हूं कि भारतीय विद्युत क्षेत्र में

उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दे अब उच्च स्तर पर सुलझाए जा रहे है, हालांकि कुछेक मामलों में अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं जैसे–दरों में बढ़ोत्तरी इत्यादि, जबकि कुछ मामलों में परिणाम समय के साथ आने शुरू हो जाएंगे ।

अब यदि परिणामों की बात लें तो सबसे पहले जैसा कि बहुत से इन समस्याओं को लेकर महसूस करते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी या हर कोई जो भी भारतीय विद्युत क्षेत में कार्यरत है, उसके लिए बेहतर परिणाम आने शुरू हो चुके है, लेकिन हमारे मामले में नहीं । वर्ष 2009–10 में हमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सार्वाधिक वृद्धि दर के लिए पुरस्कृत किया गया, जब हमारी संपत्तियों में साल दर साल 24 प्रतिशत का इज़ाफा हुआ। इससे भी ज्यादा वर्ष 2010–11 में हमारी वृद्धि दर 25 प्रतिशत रही और अभी भी मूल वृद्धि दर से 1½ गुना अधिक के उच्चतर स्तर पर है, वर्ष 2011–12 में भी हमारी सम्पत्तियों की वृद्धि दर 31 प्रतिशत रही है । यदि हम वृद्धि दर के मूल आधार के परिपेक्ष्य में वर्तमान वृद्धि दर को देखें तो यह इसमें 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से कुछ ही कम की बढ़ोत्तरी दिखाई देती है । यही वह वृद्धि दर है जिसके साथ हम प्रगति पर हैं ।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में हमारी ऋण परिसंपत्तियां 31 प्रतिशत से बढ़ते हुए 99.571 करोड़ से 1,30,072 करोड़ तक पहुंच गई हैं । इसी के फलस्वरूप हमारी आय में इस तिमाही में 40 प्रतिशत वृद्धि और वर्ष के दौरान 28 प्रतिशत वृद्धि हुई है । सम्पूर्ण वर्ष में ये आंकड़े 10,161 करोड़ से 13,037 करोड़ तक और इस तिमाही में ये आंकड़े 2,623 करोड़ से 3,684 करोड़ के स्तर पर आ गए हैं । हमारी आय में हुई वृद्धि के फलस्वरूप इस तिमाही के लिए, कर घटा कर हमारा लाभ 35 प्रतिशत बढ़ते हुए 608 करोड़ से 818 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि वर्ष के दौरान 2,620 करोड़ से 3,302 करोड़ रुपए हो चुका है, जिसमें 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । हम सभी जानते है कि पीएफसी के पास उस फीस के संबंध में कुछ असाधारण वस्तुए रहती है जिनके लिए यह ए–पीडीआरपी योजना और आयकर वापसी इत्यादि के साथ पुनर्मूल्यनजन्य अनुमानित हानियों से

धनार्जन करता है और जिनका कंपनी के कार्यकलापों से सीधा संबंध नहीं है । तिमाही के लिए ऐसे समायोजन करने पर, कर घटा कर लाभ 36 प्रतिशत बढ़ते हुए 589 करोड़ से 800 करोड़ तक पहुंच गया है और वर्ष के लिए यही लाभ 23 प्रतिशत बढ़ते हुए 2,522 करोड़ से बढ़कर 3,095 करोड़ तक पहुंच गया है ।

अब कीमत–लागत अंतर की बात लें तो, जैसे कि मैंने पहले बताया, हमने अपने दायित्वों और सम्पत्तियों का मिलान वार्षिक आधार पर रखा है । फिर भी, सम्पत्तियों में आय का उच्चावचन तिमाही में केवल एक बार होता है, यानि एक वर्ष में चार बार । जबकि दायित्वों में ऐसा उच्चावचन हर बार होता है जब कभी रिजर्व बैंक द्वारा दरों में घटा–बढ़ी की जाती है । पिछले एक वर्ष से, केवल पिछली तिमाही को छोड़कर, भारतीय रिजर्व बैंक बढ़ती ब्याज दरों में बार–बार परिवर्तन कर रहा है, इसमें कुछ विलम्ब हुआ और इसी लिए हमारा कीमत–लागत अंतर कुछ कम रहा है । किन्तु चतुर्थ तिमाही में हमारा कीमत–लागत अंतर 2.10 प्रतिशत से बढ़कर 2.33 प्रतिशत हो गया है और वार्षिक आधार पर पिछले वर्ष के मुकाबले यह 2.25 प्रतिशत से बढ़कर 2.49 प्रतिशत हो गया है । आगे भी इस प्रवृत्ति के बढ़ने का पूरी संभावना है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यदि ब्याज दरों को घटा नहीं रहा है तो कम से कम बढ़ाएगा भी नहीं ।

औसत आय प्राप्ति इस तिमाही के लिए 11.32 प्रतिशत और वर्ष के लिए 11.25 प्रतिशत रही है और निधियों की औसत लागत क्रमशः 8.99 प्रतिशत एवं 9 प्रतिशत रही है । हमारी बकाया स्वीकृतियां अभी भी 1,84,000 करोड़ के बहुत उच्च स्तर पर है । इस तिमाही के लिए हमारा ईपीएस 24.80 (वार्षिक) और वर्ष के लिए 23.41 रहा है । औसत शुद्ध संपत्तियों पर प्रतिफल तिमाही के लिए 16.71 प्रतिशत और वर्ष के लिए 18 प्रतिशत रहा है । अतः ये सभी आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि भारतीय विद्युत क्षेत्र में चाहे जो भी स्थिति हो, हम अपनी वृद्धि दर को सतत रूप से बढ़ाने में समक्ष रहे हैं और इससे विद्युत क्षेत्र में भी विकास हा रहा है ।

कुछ और भी अच्छे बदलाव हुए है जैसे कि राज्य और केन्द्रीय कंपनियों को उधार देने के लिए ऋण संकेंद्रण प्रतिमानकों से हमें 12 मार्च तक छूट प्राप्त हो गई है । मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस समय सीमा को अगली 13 मार्च तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है । उनका कहना है कि वे रोडमेप के आधार पर इसकी एक बार और समीक्षा करेंगे और यह निर्णय लेंगे कि क्या इसकी समय सीमा और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं ।

पिछले वर्ष हम लगभग 36,000 करोड़ की वृद्धि के साथ सफलतम रूप से आगे बढ़े थे, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए के कर रहित बांड भी शामिल थे । हमने तमिलनाडू में नागापट्टनम–कोड्डालूर स्वतंत्र पारेषण परियोजना को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को अंतरित कर दिया है । हमने दो सहायक उपक्रमों पीएफसी–सीएएस और पीएफसी ग्रीन एनर्जी का शुभारंभ किया है । इसके अलावा 1/4/12 से हमने अपने सभी कार्यकलापों के लिए ईआरपी की मैकेनाईज्ड पद्धति सफलतम रूप से लागू कर दी है ।

व्यापार को और अधिक फैलाने के नजरिए से आगे बढ़ते हुए, हमने भारतीय कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने जा रहे हैं जो बाहरी क्षेत्रों में संसाधन जुटाने में लगी है जैसे–कोयला खानें, गैस के क्षेत्र इत्यादि । इसमें शर्त यह रखी गई है कि वे उत्पादों को भारतीय विद्युत कंपनियों के प्रयोग के लिए भारत ले आएंगी । हम ऐसी ही संभावनाएं तलाशने में जुटे हैं ।

विद्युत क्षेत्र में हमारे योगदान को पिछले वर्ष बाहरी एजेसिंयों द्वारा भी मान्यता दी गई है । हमें बहुत से पुरस्कार मिले है । माननीय प्रधानमंत्री जी से हमें 8वीं बार एमओयू एक्सीलेन्स अवार्ड प्राप्त हुआ है । भारत की महामहीम राष्ट्रपति से हमें सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित बैंक/वित्तीय संस्था/इंश्योरेन्स कंपनी को दिए जाने वाले ''स्कोप मेरिटोरियस अवार्ड की गोल्ड ट्रॉफी प्राप्त हुई है । और इसके अलावा केपीएमजी तथा दैनिक भास्कर इत्यादि से बहुत से अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए है ।

हमने विद्युत मंत्रालय के साथ मिल कर एक अगले वर्ष के लिए एक समझौता–ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है, जिसमें हम रुपए 43,000 करोड़ से ज्यादा के भुगतान, रुपए 40,500 करोड़ के संसाधन जुटाने और रुपए 46,000 करोड़ की स्वीकृतियां प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध हैं । एक और बात यह है कि गैर–कार्यशील पूंजी जैसा कि आप में से कुछ ने दस्तावेजों में पढ़ा होगा, हमारे मामले में 0.23 प्रतिशत से 1.04 प्रतिशत हो गई है और इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि हम कुछ समय से एक जल–विद्युत परियोजना, मध्य प्रदेश में श्री महेश्वर जल–विद्युत परियोजना के बारे में बात कर रहें हैं । कतिपय असंगत परिस्थितियों की वजह से हमें भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से यह विशेष छूट प्राप्त हुई है कि हम इस सम्पत्ति को एक मानक संपत्ति मान लें । इस छूट की समय–सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाई नहीं गई और इसीलिए यह प्रस्ताव एनपीए को चला गया । यदि इसे हटा दिया जाता है तो अन्य बैंको और वित्तीय संस्थाओं की तुलना में यह बहुत बड़ा प्रतिमान नहीं होगा । इसके बाद यदि आप चाहते है कि हम इसके ब्यौरे दर्शात हुए एक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करें तो हम ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा हम सीधे प्रश्नोत्तर सत्र की ओर बढ़ सकते हैं । धन्यवाद । हमारे सम्पूर्ण ब्यौरे हमारी वेबसाईट पर उपलब्ध हैं । आपके जो भी सवाल हों अब आप उनके बारे में पूछ सकते हैं मै उनका उत्तर दूंगा । कृपया बताएं ।

प्रश्नोत्तरी सत्र

वक्ता–1 : महोदय, आप जाहिर तौर पर विदेशों से 500 मिलियन डॉलर जुटाने की योजना बना रहे हैं, जैसा कि दस्तावेजों में लिखा हुआ है । रुपए का मूल्य दिन–ब–दिन घटता जा रहा है फिर ऐसी दशा में इसका कंपनी द्वारा लिए गए ऋण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

सतनाम सिंह : जब कभी हम अंतरराष्ट्रीय बाजार से उधार लेते हैं, चाहें रुपए के मूल्य में गिरावट आए या न आए, हम हमेशा पूरी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा लागत पर नजर रखते हैं और संबंधित अवधि के लिए इस सम्पूर्ण प्रतिरक्षा लागत की देशी उधार व्यवस्था से तुलना करते हैं तथा जब यह लाभकारी होती है केवल तभी अंतरराष्ट्रीय बाजार से धन जुटाते हैं। पिछले लगभग एक वर्ष से हमने अंतरराष्ट्रीय बाजार कोई धन नहीं लिया है, इसके बावजूद भी हमने संसाधन जुटाने के लिए एक एमटीएन कार्यक्रम बनाया है । पहले पहल चूंकि लगभग कोई 5 वर्षों तक, जैसा कि दस्तावेज दर्शाते हैं, सम्पूर्ण प्रतिरक्षा आधार पर उधार घरेलू बाजार से कहीं ज्यादा मंहगा पड़ रहा था, इसलिए हमने घरेलू बाजार से उधार लेना जारी रखा और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार से धन जुटाया । अतः आप इस बारे में चिंता न करें कि हम अंतरराष्ट्रीय बाजार से मंहगी दरों पर उधार ले लेंगे और जिसका हमारी लाभप्रदता और कीमत–लागत अंतर पर बुरा असर पड़ेगा । हम ऐसा नहीं करने करेंगे ।

वक्ता 2 : यह प्रश्न आपके संवितरण विकास लक्ष्य से संबंधित है जैसा कि आपने अपने प्रस्तुतिकरण की अंतिम स्लाईड पर दर्शाया है । यह लक्ष्य बहुत कम प्रतीत होता है क्या यह केवल सरकार के प्रति प्रतिबद्ध लक्ष्य है और आप इस लक्ष्य के बारे में क्या यर्थाथवादी दृष्टिकोण रखते हैं ?

सतनाम सिंह : आईपीओ और एफपीओ के दौरान जब विभिन्न निवेशकों से मेरी बात हुई तो मैने सोचा कि हमने उन्हें यह एकदम स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि यहां सरकार द्वारा मांगा गया विनियोजन कुछ भी नहीं है । जब हम परियोजनाओं के लिए धन देते हैं तो अपनी संवितरण प्रणाली के माध्यम से यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि संवितरण किसी और उद्देश्य में नहीं लगाया जा रहा है। यह संरचना विशेषकर राज्य विद्युत कंपनियों के लिए है और क्या आपको उपकरण आपूर्ति पूर्तिकर्ताओं से मिलती है । इन बिलों का सत्यापन कीजिए और इन बिलों को हमें भेज दीजिए, हम इनका भुगतान सीधे पूर्तिकर्ताओं को करेंगे । इसीलिए उन केन्द्र व राज्य सरकारों, जिन्हें हम धन का संवितरण कर रहे हैं, की ओर से धन के विनियोजन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । ये ऋण परियोजनाओं के लिए विर्निदिष्ट हैं और इनका संवितरण कार्यान्वयन के लिए सहमत अनुसूची के अनुसार ही किया जाता है ।

वक्ता 2 : मेरा प्रश्न यह है कि आप इसकी यथार्थवादिता पर क्या सोचते हैं ? क्या आप इसे किसी विशेष दृष्टिकोण से सोचते हैं या वैसे ही जैसा कि हम विगत समय में सोचते आ रहे थे अथवा आप इसके बारे में और क्या सोचते हैं ? क्योंकि यदि हम चालू वर्ष के संवितरण आंकड़ों और लक्ष्य को देखें तो वृद्धि दर निश्चित रूप से कम रही है ?

सतनाम सिंह : नहीं । हमने आपको यह भी बताया कि हमारी बकाया स्वीकृतियां लगभग 1,84,000 करोड़ रुपए की हैं और हमारे संवितरण का लक्ष्य 43,000 करोड़ रुपए का है । अब यदि 1,84,000 करोड़ रुपए की बकाया स्वीकृतियों के साथ हम चालू वित्तीय वर्ष में दी जाने वाली कम से कम 46,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियों को मिला लें तो, यह 2,30,000 करोड़ रुपए हो जाता है, जिसमें से रुपए 43,000 करोड़ का संवितरण हो चुका है । यह हमारे लिए कठिन नहीं है ।

वक्ता 2 : दूसरा प्रश्न इस बात से संबंधित है कि कुछ दिनों पहले मुझे याद है कि एक समाचार पत्र में लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि आपने निजी

परियोजनाओं के लिए उधार देने के प्रतिमानकों को बदल दिया है । मैं इसके बारे में ठीक से समझ नहीं पाया क्या आप इस बारे में बताएंगे ?

सतनाम सिंह : अप्रैल 2011 में हमने संवितरण से पहले ईधन आपूर्ति करार और और विद्युत क्रय करार को हस्ताक्षरित करने के लिए सख्त शर्तों को लागू करना आरंभ कर दिया था । और ऐसा इसीलिए किया गया कि हमने पाया कि पिछले दो वर्षों में न तो ईधन आपूर्ति करारों पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे और न ही विद्युत क्रय करार क्रियान्वित हो रहे थे । अतः हमने सोचा कि हम इस प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय विद्युत बाजार में कुछ परिवर्तन लाएंगे और हम आंशिक रूप से सफल भी हुए हैं । हमने जो कुछ किया है वह विकासकर्ताओं द्वारा इन क्षेत्रों में की गई प्रगति पर आधारित है, फिर चाहें वह ईधन आपूर्ति करार हो या विद्युत क्रय करार । हम उन्हें कुछ हद तक रियायत दे रहे हैं । यह सबके लिए एक जैसा नहीं है बल्कि अलग–अलग प्रत्येक मामले अनुसार निर्भर करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम यह कह रहे हैं कि अब ईधन आपूर्ति करार की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है । यदि कोई यह प्रस्ताव लेकर आता है कि उसने अच्छी प्रगति कर ली है और ईधन आपूर्ति करार शीघ्र ही हस्ताक्षरित कर दिया जाएगा तो उसे संवितरण प्रदान कर दिया जाना चाहिए । जी हां हम ऐसी स्थिति से सहमत हैं । इसी प्रकार यदि किसी के पास कोयले की सीमित मात्रा है और कोयले के उत्पादन के लिए इस क्षेत्र के आधार स्तंभों की आवश्यकता पड़ती है तो, इसी आधार पर हम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और संवितरण देने के लिए सहमत हो रहे हैं ।

वक्ता 3 : आपने ठीक ही कहा कि अब उत्पादन क्षमता पहले ही प्रवाह में आ चुकी है तो कोयले की आपूर्ति को इससे सामंजस्य बनाना होगा । इस स्थिति में क्या आप यह महसूस करते हैं कि पहले के बहुत सख्त पर्यावरण स्वच्छता संबंधी प्रतिमानकों में कुछ हद तक ढील देनी होगी, ताकि कोल इंडिया ज्यादा मात्रा में कोयले की आपूर्ति दे सके ?

सतनाम सिंह : मैं नहीं मानता कि पर्यावरण संबंधी मानदण्डों में कोई रियायत दी जा सकती है । किन्तु यह भी सच है कि इन खदानों के तेज कार्यकलापों की आवश्यकता को देखते हुए मुझे यकीन है कि पर्यावरण मंत्रालय इस बात से परिचित है और वे पर्यावरण निर्बाधता विषयक अनुमति में लगने वाले समय को कम करेंगे, जिस पर आज सबका ध्यान केन्द्रित है ।

वक्ता 4 : महोदय क्या आपने ऐसा कोई विश्लेषण किया है जिससे यह ज्ञात हो कि कोल इंडिया कि कितनी खदानें इस प्रकार से कार्य कर रही है, जहां उपरोक्तानुसार बताई गई कार्रवाई हो रही है क्योंकि पर्यावरण निर्बाधता विषयक अनुमति को प्राप्त करने में आई थोड़ी सी भी तेजी उत्पादन की मात्रा में अहम वृद्धि कर सकती है । मैं यह कहना चाह रहा हूं कि निवेशक इस ईधन आपूर्ति करार पर फिर संदेह कर रहे है और 80 प्रतिशत निवेशक ये सोचते हैं कि क्या कोल इंडिया आपूर्ति देने में समर्थ होगा ?

सतनाम सिंह : हमने एक–एक खदान का विश्लेषण नहीं किया है, किन्तु मैं आपको बताना चाहूंगा कि नई खदानों के लिए उत्खनन का समय केवल 6 माह है और पर्यावरण संबंधी निर्बाधन की अनुमति मिलने का समय मोटे तौर पर लगभग ढाई से तीन वर्ष का है। अब चलिए मान लें कि एक स्थिति ऐसी आती है जब भारत सरकार यह पाती है कि बहुत सारी परियोजनाएं कोयले की खदानों मे उत्खनन शुरू करने के लिए अनुमति न मिलने के कारण रूक गई हैं, तो मैं नहीं मानता कि यह इतनी बड़ी बात नहीं है कि कोई प्राधिकारी बैठे–बैठे यह कह दे कि ठीक है ये सभी अनुमतियां जल्दी दे दी जाए । मैं नहीं मानता कि स्थिति को उस स्तर तक पहुंचने दिया जाएगा, जब विद्युत परियोजनाओं को लम्बे समय तक कोयला नहीं मिलेगा ।

वक्ता 4 : मेरा दूसरा प्रश्न इस बारे में है कि जैसा आपने ठीक ही कहा कि अब भविष्य में निजी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि बोली लगने के समय निजी क्षेत्र आक्रमक भूमिका में होगा, लेकिन यह बात भी है कि टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनी ने यह

साफ कहा है कि हम भारत में विद्युत परियोजनाओं को लेकर बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, वास्तव में हम खात तौर पर प्रभावी मुद्दों का समना कर रहे हैं । अतः इस प्रकार की परिस्थितियों में भी क्या आप महसूस करते हैं कि निजी क्षेत्र के लिए कोई संभावना है और आपने खुद यह कहा भी है कि आपने उनके लिए उधार के प्रतिमानकों को सख्त कर दिया है ।

सतनाम सिंह : फिर भी इन सब सख्तियों के बावजूद हमारी बकाया स्वीकृतियां लगभग 1,84,000 करोड़ रुपए की हैं ।

वक्ता 4 : लेकिन इसमें तो राज्य भी शामिल है ?

सतनाम सिंह : जी हां इसमें राज्य भी शामिल हैं, किन्तु समय के साथ साथ राज्यों की भूमिका घटती जा रही है । ये अब 1/3 के बराबर हो चली है । इसका मतलब है कि सख्तियों के बावजूद भी बहुत सारी परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं । हो सकता है अगर यदि यहां सख्तियां न बरती जातीं तो भी वृद्धि दर उच्चतर होती । लेकिन यह अभी भी धीमी नहीं है । आप जानते हैं कि टाटा ने यह बयान किसी विशेष कारण से दिया है, क्योंकि इंडोनेशिया के कोयले के नियमन में आए परिवर्तन को अभी सीधे तौर पर सुलझाया नहीं गया है, कम से कम वे तो ऐसा ही महसूस करते हैं । भारत सरकार का कहना है कि यह हो सकता क्योंकि यह सभी देशों के लिए लागू किया गया है । यह केवल भारत के लिए नहीं है कि उन्होंने नियमों में केवल भारत के लिए परिवर्तन कर दिया हो और भारतीय सरकार इसे राजनैतिक स्तर पर विचार कर इसका हल निकाल ले। चूंकि यह हर किसी के लिए किया गया है फिर इसमें किसी एक देश विशेष का मसला ही नहीं है ।

वक्ता 4 : महोदय एक अंतिम प्रश्न । आपने कहा था कि आपने एक पहल की है अब आप भारतीय विद्युत कंपनियों को भी वित्त पोषण देंगे जो भारत के बाहर परिसंपत्तियां

जुटा रही हैं या प्राकृतिक संस्थान की संपदा को जुटा रही हैं, लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि विगत में टाटा पावर द्वारा इंडोनेशिया में कोयले की खदानें खरीदने के मामले में कई ऐसे अनुभव रहे हैं,जब वे सफल नहीं हो सके । आप जानते हैं कि दो सरकारों के बीच किसी प्रकार बात चलती है और इंडोनेशिया इन मामलों पर क्या रूख अपना रहा है । तो क्या आप यह महसूस करते हैं कि इस प्रकार की शुरूआत हमारी आर्थिक स्थिति को जोखिम में ला सकती है ?

सतनाम सिंह : नहीं बिल्कुल नहीं । पहली बात तो यह कि यह एक बिल्कुल नया क्षेत्र है। हम एक सचेत मस्तिष्क के साथ दो तरीके से काम कर रहे हैं । एक तो हम बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता नही ंदे रहे हैं, वहां और भी संस्थाएं है जिनकी हिस्सेदारी कही ज्यादा है और हम केवल एक छोटी हिस्सेदारी ले रहे हैं । दूसरी बात यह है कि चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को किसी प्रकार के जोखिम को कोई संकेत हमारे पास नहीं है, हम उस समूह कि समकक्ष कंपनियों में से किसी से कहेंगे कि ऐसी किसी भी कठिनाई के होने पर अतिरिक्त समर्थन प्रदान करें । अतः जहां तक नए व्यवसाय का प्रश्न है हम बड़े ही सुरक्षित ढंग से कार्य कर रहे हैं ।

वक्ता 5 : महोदय हमने अभी अभी नागापट्टनम–माल्लुगिरी पारेषण कंपनी को पावर ग्रिड को अंतरित कर दिया है । क्या हम इसके बारे में संक्षिप्त में इस लेनदेन के बारे में जान सकते हैं और हमें इससे क्या मिलेगा ?

सतनाम सिंह : अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं की भांति, हमें चार पारेषण लाईनें प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के लिए दी गई थी । अतः हमने इस लाईन के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में यह कार्य किया और दिशा–निर्देशों के अनुसार पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी बोली लगाने का मौका दिया गया और उन्होंने यह लाईन प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली । उन्होंने सबसे कम दरें उद्धृत की थी । तो जब हम यह कहते है कि हमने इसे अंतरित कर दिया है तो इसका अर्थ है कि यह लाईन उन्हें लॉक, स्टॉक एवं बैरल सहित

न्युनतम मूल्य पर अंतरित कर दी है । इसके बाद वे ही इस लाईन का निर्माण करेंगे और सेवा देंगे तथा इसके लिए हमने उनसे 15 करोड़ रुपए का परामर्श शुल्क प्राप्त किया है ।

वक्ता 6 : मेरा मानना है कि निजी क्षेत्र में हर तिमाही में 25 प्रतिशत की प्रगति हो रही है। वर्तमान परिदृश्य में यह आश्चर्यजनक है, क्या इसमें कोई ठहराव आने वाला है या प्रतिमानकों में छूट दिए जाने जैसी कोई बात होने वाली है ?

सतनाम सिंह : नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं । राज्य क्षेत्र की तुलना में हमारे निजी क्षेत्र के प्रतिमानक ज्यादा सख्त है । उनके बारे में कोई संदेह नहीं है । किन्तु निजी क्षेत्र का प्रदर्शन उनके द्वारा निभाई जा रही भूमिका की वजह से बेहतरी के स्तर पर आया है । यदि अब तक आरंभ न हो सकी परियोजनाओं की बजाए निजी क्षेत्र में और ज्यादा परियोजनाएं शुरू होती है तो निश्चित ही विद्युत क्षेत्र को समर्पित वित्तीय संस्था होने के नाते वहां हमारा भी प्रदर्शन बेहतर बनेगा । चूंकि दिन प्रति दिन निजी क्षेत्र में परियोजना की संख्या बढ़ रही है, समय के साथ निजी क्षेत्र में हमारा प्रदर्शन और बेहतर होता जा रहा है ।

वक्ता 6 : महोदय मेरा अंतिम प्रश्न आपकी विदेशी देनदारियों के बारे में है । इनमें से कितनी प्रतिरक्षित है और किस ब्याज दर पर ?

सतनाम सिंह : विदेशी मुद्रा की हमारी देनदारियां यदि कुल देनदारियों की प्रतिशतता के नजरिए से देखी जाएं तो बहुत कम है । ये लगभग 5 प्रतिशत होती हैं और इसमें भी हमारे द्वारा उधार ली गई धनराशियों का प्रतिदान लम्बे समय के लिए निर्धारित है, प्रतिदान करने में अभी बहुत समय है । यह 2014 से आरंभ होगा और इसीलिए हमने एक सोचा–समझा निर्णय लिया है कि अभी प्रतिरक्षा की कार्रवाई न की जाएं क्योंकि प्रतिदान में बहुत समय है। इस प्रतिरक्षा संविदा के आंकड़े इस प्रकार है– लगभग 14–15 प्रतिशत की प्रतिरक्षा दर है और शेष मुक्त है ।

वक्ता 7 : महोदय मै यह जानना चाहता हूं कि अधिस्थगन अवधि में, हमारे ऋण का कितना प्रतिशत भाग ब्याज रहित है और क्या आप पिछले वर्ष से इस बारे में कुछ तुलनात्मक आंकड़े दे सकते हैं । ऋण की कितनी प्रतिशत धनराशि पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता ?

सतनाम सिंह : ऐसा कोई ऋण नहीं है, जिसे देकर हम उस पर कोई ब्याज नहीं लेते । वास्तव में ब्याज के लिए कोई अधिस्थगन अवधि नहीं है । केवल एक अधिस्थगन अवधि जो हम सुलभ कराते हैं वह मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए है । निर्माण की अवधि में ब्याज पूंजी लागत पर वसूल किया जाता है । इसका भुगतान या तो संबंधित संस्था द्वारा किया जाता है या इक्विटी के माध्यम से किया जाता है । अतः यह पूंजीकृत व्यवस्था है। ब्याज रहित या ब्याज के लिए अधिस्थगन अवधि जैसी कोई व्यवस्था नहीं है । ऐसा कुछ भी नहीं है ।

वक्ता 7 : महोदय एक प्रश्न 43,000 करोड़ रुपए के संवितरण लक्ष्य के बारे में, जो आगे बढ़ता जा रहा है, जैसा कि हम देखते है कि इसमें राज्य विद्युत बोर्ड उठाए गए कदमों से सुधार आया है और राज्य विद्युत बोर्ड को संवितरण भी बढ़ गया है ।

सतनाम सिंह : नहीं राज्य विद्युत बोर्ड जो पहले आगे बढ़ रहे थे, अब उनकी भूमिका कम होती जा रही है । अतः यदि अब आप आंकड़ों पर नजर डालें तो देखते है कि अब स्वीकृति निजी क्षेत्र की ओर बढ़ रही हैं । मेरे ख्याल में पिछले वर्ष कुल स्वीकृतियों का लगभग 25 फीसदी निजी क्षेत्र को गया है और इसीलिए इन स्वीकृतियों का संवितरण भविष्य में दिखाई देगा । इस प्रकार संवितरण की संरचना अब राज्य क्षेत्रों की बजाए निजी क्षेत्रों की ओर ज्यादा होगा, चाहें इसमें सुधार हो या न हो ।

वक्ता 8 : महोदय, दो बड़े विद्युत निर्माता, अदानी पावर और टाटा पावर ने बहुत लम्बे समय तक बड़े घाटे दिखाए हैं । बताएं कि आपकी इन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सतनाम सिंह : मुझे यकीन है कि ये हानियां अदानी पावर की है, जिनका मर्चेन्ट पावर को लेकर लम्बे समय के लिए बड़ी हिस्सेदारी की बजाए बिजली की खरीद पर आधारित हिस्सेदारी का एक बहुत ही अलग नजरिया रहा है । कोई भी अगर यह समझे कि मेरी सारी बिजली मर्चेन्ट आधार पर असाधारण रूप से मंहगी दरों पर हमेशा बिकेगी तो यह बिल्कुल गलत होगा । अतः मैं नहीं समझता कि एक निर्माता जिसने किसी निश्चित प्रतिशतता के लिए लम्बे समय के विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसे कि उत्पादन के 85 प्रतिशत का नियम लम्बे समय के विद्युत क्रय करार पर आधारित होना चाहिए, तो ऐसे निर्माता को थर्मल स्टेशन के लिए केवल 15 प्रतिशत का प्रावधान मर्चेन्ट आधार पर रखना चाहिए। यदि इस संरचना का क्रियान्वयन किया जाता है तो किसी भी विद्युत परियोजना में हानि नहीं होगी ।

वक्ता 9 : जब ईधन खरीद की लागत सार्थक रूप से बढ़ रही है तो ऐसे में विद्युत क्रय करार की दरों में पुनरीक्षण के क्या अवसर हैं । ऐसे में परियोजनाओं की क्या स्थिति है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ?

सतनाम सिंह : मैं नहीं मानता कि मैं इस बात पर टिप्पणी करने के लिए प्राधिकृत हूं, लेकिन जैसा कि आप जानते है विद्युत क्रय करार दो पक्षों के बीच का समझौता है । पहले तो दोनों ही पक्षों को आपस में सहमत होना चाहिए, जो कि नियंत्रण से बाहर की बात है । यदि एक बार ऐसा हो जाता है तो विनियामक प्राधिकरण फिर कुछेक फेरबदल करने के बारे में सोच सकता है ।

वक्ता 9 : अंत में मैं यह पूछना चाहता हूं कि अनुपयोज्य परिसंपत्तियों के बढ़ने के पीछे कौन सी प्रवृत्तियां है ? क्या अनुपयोज्य परिसंपत्तियों में बढ़ोत्तरी दिखाई देती है ?

सतनाम सिंह : बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरूआत में कहा, हमारे मामले में ये अनुपयोज्य परिसंपत्तियां सर्वविदित थी । एक परियोजना जिसे हमने विगत वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में शामिल किया था, वह परियोजना बड़ी अच्छे तरीके से आंरभ हुई, यानि संरचना के स्तर पर, किन्तु इसे अभी अपेक्षित गैस नहीं मिल पा रही है । इसीलिए यह एक अनुपयोज्य परिसपत्ति बन गई हैं । जब इस परियोजना को गैस मिलने लगेगी, यह अनुपयोज्य परिसपत्ति नहीं रहेगी । महेश्वर जल विद्युत परियोजना लग्बे समय से रूकी हुए एक परियोजना है । इसके विकासकर्ता के पास अपेक्षित इक्विटी नहीं है, जिससे इस परियोजना को आरंभ कर सके । इसके कार्यारम्ब करने में हो रहा यही विलम्ब इस प्रकार के सवालों का कारण है । हमने रिजर्व बैंक से इस परियोजना को 12 मानक संपत्ति मानने के लिए 12 मार्च तक विशेषानुमति प्राप्त कर ली है । चूंकि इस विशेषानुमति की अवधि आगे नहीं बढ़ाई गई अतः अब हमने इसे अनुपयोज्य परिसपत्तियों में शामिल कर लिया है । इसमें आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है। इनके अलावा बाकि की परियोजनाओं के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है ।

वक्ता 10 : महोदय क्या हम इस परियोजना को मानक संपत्ति मानते है ?

सतनाम सिंह : जी हां । हमने इस बारे में एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को भेजा है, जो कि इस परियोजना के अंतिम हितधारक है, क्योंकि यदि धन की व्यवस्था हो जाती है तो इस संयत्र की तीन यूनिटों 2 या 3 महीने में कार्यारम्भ करने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन चूंकि ऋण–इक्विटी अनुपात पहले ही 86:14 तक पहुंच चुका है इसलिए कोई भी संस्था तब तक और ऋण देने के लिए तैयार नहीं है, जब तक कि प्रर्वतक इक्विटी न ले आए । अब चूंकि प्रर्वतक इक्विटी लाने में समर्थ नहीं है, हमने मध्य प्रदेश सरकार से इसके विकल्प ढूढ़ने का अनुरोध किया है ।

वक्ता 10 : और क्या यह परियोजना लाभप्रद सिद्ध होगी ?

सतनाम सिंह : इस योजना में मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक विद्युत क्रय अनुबंध किया है, जिसमें उत्पादन की लागत पर ही बिजली खरीदने का प्रावधान रखा गया है और यह सबसे साधारण से भी साधारण विद्युत स्टेशन है । मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहा है कि हालांकि इस परियोजना का अधिकारिक जीवनकाल 35 वर्ष है और यदि आप दरों के आधार पर 35 वर्षों का खर्च निकालते है तो यह ज्यादा मंहगा पड़ेगा । किन्तु भाखड़ा बांध की तर्ज पर, जो कि 100 वर्षों से कार्य कर रहा है, यह लम्बे समय के लिए आपको बहुत सस्ता पड़ेगा । आपको इसके लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । इसलिए हम आशा करते है कि यह मसला आने वाले 3–4 महीनों में सुलझ जाएगा।

वक्ता 11 : महोदय हमने तिमाही से तिमाही आधार पर विश्लेषण करके, इस तिमाही में अल्पकालिक ऋणों में बढ़ोत्तरी देखी है । पहले तो बताएं कि क्या इस हिस्से में राज्य विद्युत बोर्ड को दिए गए अल्पकालिक ऋण भी शामिल हैं ?

सतनाम सिंह : जी हां । जैसा कि मैंने कहा कि हमने राज्य बिजली कंपनियों को अल्पावधिक ऋण देने के लिए और अधिक सख्त मानदण्ड निर्धारित किए हैं और ऐसी कंपनियों को जो कि निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करती है, केवल उन्हीं को अल्पकालिक ऋ़ण दिए जाते है । किन्तु कुल ऋणों के आगे अल्पावधिक ऋणों का प्रतिशत बहुत थोड़ा है । मेरे विचार में कुल 1,30,000 करोड़ के ऋणों में से अल्पावधिक ऋण केवल 6–7000 करोड़ रुपए के हैं ।

वक्ता 11: महोदय केवल एक ही चीज वृद्धिशील अवस्था में है और वो है अल्पावधिक ऋण, जिनका लगभग 20 प्रतिशत का योगदान है और इससे राज्य विद्युत बोर्ड को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले अल्पावधिक ऋणों पर रोक लग गई है । क्या हम इस क्षेत्र में निकट भविष्य अर्थात आने वाली 2 या 3 तिमाहियों में सतत प्रगति पर होंगे ?

सतनाम सिंह : हमारे पास भी एक ऐसी संरचना है कि हम वार्षिक संवितरण के 20 प्रतिशत से ज्यादा धन अल्पावधिक ऋण के रूप में उधार नहीं देते । परंतु वह तत्व जो इन ऋणों को नियंत्रित कर रहा है वह है सख्त मानदण्ड । इस बात की कोई गुजांइश नही है कि यदि सख्त मानदण्डों का पालन किया जाता है तो ऐसी कंपनियों को उधार देने में कोई समस्या नहीं होगी ।

वक्ता 11 : आप किस प्रकार के सख्त मानदण्डों की बात कर रहे हैं ? क्या आप उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मानदण्ड हमें बताएंगे ?

सतनाम सिंह : जी बिल्कुल । हम यह कह रहे हैं कि कोई भी जिसे हमसे अल्पावधिक ऋण चाहिए, उसके पास पिछले वर्ष की दरों का विवरण होना चाहिए, अगले वर्ष की दरों की याचिका प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए, उस कंपनी के आडिट किए हुए खाते 18 माह से पहले के नहीं होने चाहिए, उन्हें राज्य सरकार की गारंटी देनी होगी और संबंधित सरकार द्वारा उस वर्ष के लिए अनुपातिक अनुदान का नकद भुगतान कर दिया जाना

चाहिए । अब यदि ये पांच प्रतिमानक संतोषप्रद हैं तो उस डिस्कॉम को 6 माह के ऋण की पात्रता होगी । और इन 6 महीनों के दौरान उन्हें 9 अन्य प्रतिमानकों का पालन भी सुनिश्चित करना होगा । अन्यथा उन्हें बाद में कोई भी अतिरिक्त धन नहीं दिया जाएगा ।

वक्ता 11 : राजस्थान और हरियाणा के राज्य विद्युत बोर्डों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बहुत नवीनीकरण कार्य किए गए हैं । स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अलग प्रकार के मानदण्ड अपनाते है और हमें भी ऐसी गतिविधियों का श्रेय मिल सकता था, जबकि हम 180 दिन की समय सीमा का पालन करते है । तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है कि हम भी नवीनीकरण में योगदान दें ।

सतनाम सिंह : राज्य विद्युत कंपनियां या निजी क्षेत्र के लिए हमारी ऋण नीति परियोजना आधारित है और हम ऐसे किसी नवीनीकरण को परिकल्पित नहीं करते हैं । कदाचित बैंकों ने उन्हें परियोजना आधारित ऋण के अलावा किसी और आधार पर ऋ़ण दिए होंगे, जिनका इन विद्युत कंपनियों द्वारा उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया होगा, जिनके लिए मूल रूप से इन ऋणों की स्वीकृति दी गई थी । इसी उन्होंने इन ऋणों से नवीनीकरण के कार्य निष्पादित किए हैं। हम ऐसा कुछ भी परिकल्पित नहीं करते और हमने अभी तक किसी भी मामले में ऐसा नहीं किया है ।

वक्ता 11 : ठीक है महोदय । अब हम पूंजी पूंजी पर्याप्तता अनुपात पर नजर डालते हैं, पूंजी पर्याप्तता अनुपात घट कर 16.3 प्रतिशत हो गया है । क्या हम प्रथम स्तर की पूॅजी और कुल जोखिम वाली संपत्तियों के आंकडे देख सकते हैं जो यहां उपलब्ध हैं ?

सतनाम सिंह : हमारे प्रकरण में अशोध्य और संदग्धि ऋण के लिए आरक्षित निधियों, जो 1 प्रतिशत के लगभग हैं, को छोड़कर हमारी अधिकांश आरक्षित निधियां प्रथम स्तर की पूंजी में शामिल हैं । परंतु अब चूंकि पूंजी पर्याप्तता 16.3 प्रतिशत पर आ गई है, हमने कल ही आयोजित बोर्ड की बैठक में 2,500 करोड़ रुपए के स्थायी बॉड का अनुमोदन

प्रदान कर दिया है । अतः इस वर्ष हमारे पास द्वितीय स्तर की कुछ पूंजी जमा हो जाएगी।

वक्ता : 11 बिल्कुल महोदय और विद्यमान ऋणों को संपत्तियों बनां के लिए समय सीमा क्या होगी ?

सतनाम सिंह : इसमें लगभग 6 वर्ष लगेंगे ।

वक्ता : 11 महोदय, मैं एक बार फिर पिछले प्रश्न पर लौट रहा हूं जो कि डिनोमिनेटर यानि जोखिम वाली संपत्तियों से संबंधित है । कृपया बताएं कि हमारे लिए अभी जोखिम की क्या प्रतिशतता है ?

सतनाम सिंह : जोखिम वाली संपत्तियों 1,27,066 करोड़ रुपए मूल्य की है ।

वक्ता : 11 ठीक है । एक अंतिम प्रश्न । सकल अनुपयोज्य संपत्तियों में कितनी परियोजनाएं और संपत्तियों शामिल हैं ? सकर अनुपयोज्य संपत्तियों की कुल धनराशि क्या होगी और उसमें कितनी परियोजनाएं और संपत्तियों शामिल है ?

सतनाम सिंह : परियोजनाओं की संख्या 5 है । श्री महेश्वर, कोनासीमा गैस, ओम शक्ति, एम्पी पावर और आरएस इंडिया । आर.एस. इंडिया एक पवन विद्युत परियोजना है, जिसका नवीनीकरण किया गया है । यह अनुपयोज्य संपत्तियों की सूची में केवल इसलिए है कि एक पर एक वर्ष का प्रतिबंध है। एक वर्ष के बाद वे सभी देय धनराशियों का भुगतान कर देंगे । एक वर्ष के बाद यह अनुपयोज्य संपत्तियों से बाहर भी हो जाएगी । कोनासीमा गैस परियोजना में जैसे ही गैस की आपूर्ति आरंभ हो जाएगी यह परियोजना कार्यशील संपत्तियों में आ जाएगी । श्री महेश्वर के मामले में जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार के साथ फैसला हो जाता है और यह परियोजना कार्यारम्भ कर देती है,

एक वर्ष बाद राजस्व मिलना शुरू हो जाएगा और यह एक कार्यशील संपत्ति बन जाएगी। एमपी पावर और ओम शक्ति दोनों ही बहुत छोटे आकार की लघु परियोजनाएं हैं, इनके बारे में कुछ समाधान शीघ्र होने की संभावना है ।

वक्ता 11 : बिल्कुल महोदय । आपका धन्यवाद ।

वक्ता 12 : मेरी ओर से तीन प्रश्न है । पहला प्रश्न अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट से संबंधित है । हमने अब तक चार प्रश्न अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए है और दुर्भाग्यवश सभी किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है । सरकार द्वारा गारंटीकृत उस सम्पूर्ण ऋण संबंधी जोखिम को एक तरफ हटा दीजिए, जिसका सामना टाटा पावर द्वारा किया जा रहा है, परंतु इसके अलावा ससान और तालिया परियोजनाओं का, क्या जिनमें अधिक कोयला आपूर्ति का मसला चल रहा है । इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह वास्तव में वहां गया और उन्होंने रिलांयस पावर के पक्ष में निर्णय दे दिया, परंतु हम प्रश्न अगले अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की ओर बढ़ने पहले ऐसी विसंगतियों का समाधान कैसे करने जा रहे हैं ?

सतनाम सिंह : वस्तुतः मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने उस बैठक में जिसमें ससान के बारे में निर्णय लिया गया था और मंत्रियों की पिछली समिति के निर्णय को स्थगित रखा गया था, यह बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि भविष्य की निर्भरता नई कोयला नीति पर होगी, जो अगले 6 माह में आने की संभावना है ।

वक्ता 12 : ठीक है और कोयला आधारित परियोजनाओं के लिए आयात की क्या स्थिति है ।

सतनाम सिंह : मेरे विचार में मैं इस बारे में पहले ही बता चुका हूं इंडोनेशिया सरकार द्वारा विनियमों में परिवर्तन केवल भारत के लिए ही नहीं है । टाटा का यह कहना है कि सरकार को इसे राजनैतिक स्तर पर विचार–विमर्श हेतु रखना चाहिए और इसका समाधान

करना चाहिए । अब यदि यह मुद्दा केवल भारत से संबंधित होता तो इसे इस प्रकार से सुलझाया जा सकता था । परंतु यह मुद्दा विश्व के सभी देशों के लिए एक समान है तो इसे कैसे सुलझाया जा सकता है । कोई भी देश इसके लिए सहमत नहीं होगा, मैं भारत को प्राथमिकता देता हूं । ऐसा कभी नहीं होता ।

वक्ता 12 : दूसरा प्रश्न प्रतियोगी ईसीबी दरों के बारे में हैं । हालिया केन्द्रीय बजट में प्रस्ताव रखने के बाद इनमें से अधिकांश स्वतंत्र विद्युत निर्माताओं को किसी प्रकार के अवसर दिए जा रहे है, ताकि वे कम से कम विदेशी मुद्रा के लिए क्षतिपूर्ति पा सके । और हम इस प्रकार बढ़ते बाहरी ईएसबी से किसी प्रकार प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं, क्योकि हमारा अधिकांश कार्य–निष्पादन अब निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा किया जा रहा है?

सतनाम सिंह : ऐसा है कि ज्यादातर विद्युत परियोजनाएं एसपीवी के तौर पर बहुत कम रेटिंग के साथ स्थापित की गई हैं । अब रिलांयस, टाटा और ऐसी ही अन्य बड़ी कंपनियों द्वारा समर्थित एसपीवी को छोड कर, इनमें से ज्यादातर एसपीवी बाहरी वाणिज्यिक उधार राशियों को रोकने में समर्थ नहीं होंगी । इसलिए हमें ईएसबी धन से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं है ।

वक्ता 12 : अंतिम प्रश्न । हम अधिकांश राज्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन पर निगरानी रख रहे थे। हाल ही में हमने देखा कि टीएनईबी में 37 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के बावजूद तमिलनाडू के सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर बड़ा सार्वजनिक विरोध फैला हुआ है । वास्तव में इससे मानदण्डों और वित्तीय प्रदर्शन में कोई मदद नहीं मिलने वाली है । परंतु आप इसे कैसे समझते हैं और इसमें आगे बदलाव के लिए क्या सोचते हैं क्योंकि टीएनईबी में बिजली की दरों में भविष्य में और ईजाफा होना है ?

सतनाम सिंह : नहीं । आप इसे ऐसा समझते हैं । अतीत की वर्तमान से तुलना कीजिए । पहले भी ऐसी ही घटनाएं होती थी जबकि बिजली की दरों में कोई ईजाफा नहीं होता था। अब ईजाफा होने के बाद भी ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं । समय के साथ राजस्व वसूली निश्चित ही बढ़ेगी ।

वक्ता : 12 बिल्कुल लेकिन इसके बावजूद .....

सतनाम सिंह : देखिए 62 या 65 प्रतिशत बिजली तमिलनाडू में बाहर से आती है । अब यदि बाहर का कोई उत्पादक तमिलनाडू को बिजली की आपूर्ति बंद कर दे तो ? आप जानते है बहुत से लोग मुझ से यही प्रश्न करते हैं कि क्या होगा यदि तमिलनाडू बिजली की दरें न बढ़ाए । मैं कहता हूं कि यह उनकी आर्थिक पहुंच में नहीं है, अन्यथा सारा राज्य अंधेरे में डूब जाएगा । और थोड़े ही समय बाद क्या होता है । उन्हें बिजली के दाम बढ़ाने पड़ते हैं । अब चूंकि बाहरी स्रोतों पर निर्भरता रही नही ंतो उनके पास बिजली की दरें बढ़ाने के सिवाए कोई विकल्प नहीं रहा और दरें बढ़ने से निश्चित ही कंपनियों में ज्यादा राजस्व आने लगा ।

वक्ता 12 : हां परंतु अभी भी औसतन आधार पर लें तो एक औसत दक्षिण भारतीय उपभोक्ता देश के किसी भी भाग के अन्य उपभोक्ता से कही अधिक दाम चुकाता है । चूंकि आपने कहां कि बाहरी निर्भरता और अधिक खर्चीली है और हमने वास्तविकता में जो देखा है वह यह है कि बिजली की दरें बढ़ने के बाद वहां और ज्यादी कटौती होने लगी है । तो क्या आप यह मानते है कि यह केवल मौसमी असर है और आगे चल कर ठीक हो जाएगा ?

सतनाम सिंह : नहीं । तमिलनाडू में जैसा कि आप जानते है बिजली के दाम पिछले आठ वर्षो से नहीं बढ़ाए गए थे । अब यह कहना सही नहीं है कि 37 प्रतिशत का आंकड़ा अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है, क्योंकि उन्होंने यदि बिजली के दाम समय

समय पर बढ़ाए होते तो उन्हें एक साथ इतने दाम बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । चूंकि उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया था यह देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है ।

वक्ता 12 : इसका मतलब बिजली के दामों में बढ़ोत्तरी चिंता का विषय नहीं है । चिंता यह है क्या व`अब आगे सही तरीके से चलेंगे और इस व्यवस्था को बनाए रखेंगे ? मेरा मतलब केवल व्यवस्था कायम रखने से नहीं बल्कि वित्तीय प्रदर्शन को इस प्रकार सुधारने से है ?

सतनाम सिंह : हांक्यों नहीं । क्योंकि यदि अभी भी ऐसा नहीं किया तो इसे राज्य के आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए । यदि कोई राज्य भी बिजली के दाम नही बढ़ाता है तो क्या आप ये सोचते है कि वे बिजली की लागत का भुगतान नहीं कर रहे हैं । पिछले वर्षों के बारे में सोचिए जब बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए थे । राज्य बिजली बाहर से खरीद रहा था और इसका भुगतान कर रहा था और इसीलिए आपूर्ति निरंतर बनी हुई थी । वे अन्य स्रोतों से धन निकाल रहे थे । अतः राज्य सरकार पर बिजली की लागत के भार का यह मामला पहले भी ऐसा ही था । प्रश्न यह कि इसे राजस्व के रूप में कहां से वसूल किया जा रहा है ।

वक्ता 13 : क्या तमिलनाडू राज्य कंपनियों में वाकई आपने दाम बढ़ने के बाद ऐसी प्राप्तियों को देखा है जिसके लिए वह पीएफसी की ऋणी है ?

सतनाम सिंह : नहीं । हमने जो कुछ भी उधार दिया है वह हमारे ऋण परिशोधन की अनुसूची के अनुसार ही है । हम बिजली नहीं बेचते । प्राप्तियों के हम तक आने का क्या अर्थ हुआ ।

वक्ता 13 : इस अर्थ में कि ब्याज के भुगतान के तौर पर आपको क्या प्राप्त होता है ?

सतनाम सिंह : नहीं । मैंने अभी यही तो बताया । हमारे ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए एक निर्धारित अनुसूची है । अब यदि हम उससे ज्यादा उधार देंगे तो ही इसमें बढ़ोत्तरी हो सकती है । अन्यथा मेरा मानना है कि दामों में बढ़ोत्तरी से इसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी ।

वक्ता 13 : किन्तु विद्यमान ऋण जो आपने टीएनईबी को दिए हैं, उनके लिए तो आपको ब्याज का भुगतान नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है ?

सतनाम सिंह : हां वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए हमारी वसूली दर 99.2 प्रतिशत रही है।

वक्ता 13 : धन्यवाद महोदय ।

वक्ता 14 : महोदय मेरे दो प्रश्न हैं । एक प्रश्न महेश्वर जल विद्युत परियाजना पर है । क्या इस परियोजना की पूरी लागत को सकल अनुपयोज्य संपत्तियों में शामिल किया गया है ? और दूसरा क्या सामलकोट नामक एक गैस आधारित परियोजना इस वर्ष में स्वीकृत की गई है ? क्या संवितरण आरम्भ हो चुका है और यह परियोजना अभी किस अवस्था में है ?

सतनाम सिंह : महेश्वर के लिए, मैं, आपको बता दूं कि उसकील पूरी लागत को सकल अनुपयोज्य संपत्तियों में शामिल किया गया है । इस मामले में 700 करोड़ रुपए की धनराशि का ऋण दिया गया है । जहां तक सामलकोट का प्रश्न है, इसे हमने कुछेक शर्तो के साथ स्वीकृत किया है, जो कि रिलांयस को स्वीकार्य नहीं हैं इसलिए अभी संवितरण नहीं हुआ है ।

वक्ता 14 : धन्यवाद महोदय ।

सतनाम सिंह : जी श्रीमान ।

वक्ता 15 : महोदय में महेश्वर पर पुनः प्रश्न उठाने के लिए क्षमा चाहता हूँ, किन्तु क्या आप महसूस करते है कि यह एक 400 करोड़ रुपए की गारंटीकृत परियोजना थी जो पीएफसी द्वारा दी गई थी। अतः यह गांरटी समयावधि समाप्त होने पर खत्म हो जाएगी । क्या आप हमें बता सकते है कि ये गांरटियां क्या थी और इनके लिए परिशोधन की समय सीमा क्या थी ?

सतनाम सिंह : श्री महेश्वर परियोजना पूर्णतया वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर के साथ शुरू की गई थी और इस परियोजन आधारित ऋण के लिए हमने मध्य प्रदेश सरकार की और से काउंटर गांरटी लेते हुए अपनी ओर से गांरटी दी थी । अतः इसमें सीधे तौर पर हम सामने नहीं थे । यह एक गांरटी एक्सपोजर था, इसलिए कुल मिलाकर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है । यदि इस धनराशि का भुगतान नहीं हुआ तो और यदि हमे भुगतान करना पड़ा तो हम मध्य प्रदेश सरकार से इसका दावा कर लेंगे ।

वक्ता 16 : महोदय एक अंतिम प्रश्न । तीसरी तिमाही में हमने अपनी लेखांकन पद्धतियां बदल दी, विदेशी देनदारियों पर विनिमय के अंतर की राशि को जोड़ लिया, कुछ धनराशि को लाभ हानि लेखे में और कुछ धनराशि का चिट्ठे में मिला दिया । अब वर्ष के अंत में चौथी तिमाही में कोई 5 मिलियन चिट्ठे में दिखाई दे रहे हैं । क्या ऐसी कोई धनराशि है जो इस तिमाही में लाभ हानि लेखे में ली गई है ?

सतनाम सिंह : जबकि डॉलर और रुपए की कीमत में अंतर है, वित्त मंत्रालय ने विशेषानुमति दी है कि ऐसे संगठन जो विदेशी मुद्रा से संबद्ध रहते हैं प्रतिदान की अवधि पूरी होने तक अनुपातिक रूप से कल्पित हानियों का परिशोधन कर सकते हैं । और हमने इसी विकल्प को क्रियान्वित किया है । तदनुसार कल्पित हानियों के लिए ऐसा किया गया है । इसीलिए तो वित्तीय वर्ष 2011–12 कबे लिए कल्पित हानियां अपेक्षाकृत कम दिखाई

दे रही हैं । यदि यह पूरी राशि हानि के रूप में दिखा दी जाए तो यह 600 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा । पिछली तिमाही में यह हमारे लिए मुनाफा है ।

वक्ता 16 : धन्यवाद श्रीमान ।

वक्ता 17 : महोदय गैस आधारित परियोजना पर दृष्टिकोण के बारे में मेरा केवल एक प्रश्न है । आपने हमें कोनासीमा के बारे में बताया था, आपके पास भावाना भी है । कृपया बताएं कि आपका इनके प्रति क्या दृष्टिकोण है ?

सतनाम सिंह : अब यदि हमसे कोई गैस आधारित परियोजना को ऋण देने के बारे में अनुरोध करता है तो हम उन्हें यही बताते हैं जब तक आपके पास ईधन आपूर्ति अनुबंध क्रियान्वित नहीं होगा हम वित्तीय सहायता प्रदान करने को तैयार नहीं हैं । मेरा मानना है कि गैस आधारित परियोजनाओं पर बकाया धनराशियां लगभग 7,500 करोड़ हैं । ये ज्यादातर राज्य क्षेत्र की परियोजनाएं हैं और कोनासोमा गैस परियोजना के अलावा किसी भी स्टेशन पर गैस की समस्या नहीं है ।

वक्ता 17 : क्या उडुपी परियोजना पर कोई नई जानकारी उपलब्ध है ?

सतनाम सिंह : जी हां । पारेषण लाईन का एक छोटा सा हिस्सा है जिसके कारण उडुपी की द्वितीय ईकाई अब तक व्यवसायिक घोषित नहीं की जा सकी है । अब इसे पर्यावरण निर्बाधता अनुमति प्राप्त हो चुकी है और इसका निर्माण कार्य चालू है । मैं मानता हूं कि अगस्त या इसके आसपास उडुपी की दूसरी ईकाई व्यवसायिक घोषित कर दी जाएगी ।

वक्ता 17 : धन्यवाद महोदय ।

वक्ता 18 : नमस्कार महोदय, नई प्रदत्त कुल स्वीकृतियों में से कितनी स्वीकृतियां राज्यों के लिए है ?

सतनाम सिंह : वर्ष 2011–12 के लिए 74 प्रतिशत स्वीकृतियां राज्य क्षेत्र के लिए हैं ।

वक्ता 18 : और महोदय वर्ष 2012–13 के लिए आप कितनी स्वीकृतियों की अपेक्षा रखते हैं ?

सतनाम सिंह : नहीं । हम पहले से इस बारे में कुछ नहीं कहते कि कितनी स्वीकृतियां राज्य और अन्य क्षेत्रों को प्रदान की जाएंगी । यह परियोजनाओं पर निर्भर करेगा जो स्वीकृति के लिए लाई जाती हैं । परंतु कुल मिला कर लक्ष्य लगभग 46000 करोड़ रुपए का है ।

वक्ता 18 : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप मुझे राज्यवार ब्यौरे दे सकते हैं, जिनसे यह ज्ञात हो कि आपने कैसे ऋण प्रदान किए है और पहले 5 या पहले 6 राज्य कौन कौन से हैं ?

सतनाम सिंह : जी हां हम आपको ये ब्यौरे सुलभ करवा सकते हैं । इसमें कोई कठिनाई नहीं है ।

वक्ता 18 : क्या आप मुझे संख्यात्मक ब्यौरों से अवगत करा सकते हैं ?

सतनाम सिंह : 31 मार्च 2012 को पांच राज्यों में बकाया राशियों का क्रमवार ब्यौरा (इसमे सभी परियोजनाएं शामिल हैं चाहें वे केन्द्रीय क्षेत्र के परियोजनाएं हो, संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाएं हो, राज्य क्षेत्र की परियोजनाएं हों या निजी क्षेत्र की परियोजनाएं हों) निम्नवत है – महाराष्ट्र– 14,758 करोड़, राजस्थान–12,800 करोड़, दिल्ली– 12,049 करोड़, आंध्र प्रदेश– 11,089 करोड़ और हरियाणा 10,471 करोड़ । यदि आप और राज्यों की जानकारी भी लेना चाहते हैं तो हम आपको सुलभ करवा सकते हैं।

वक्ता 19 : चिट्ठे में विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षित निधि का मूल्य कितना दर्शाया गया है और इसके परिशोधन में कितने वर्ष का समय लगेगा ?

सतनाम सिंह : जी हां । इसका योग 515 करोड़ रुपए है । जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादातर ऋणों का पुनर्भुगतान सितम्बर 2014 से आरंभ हो रहा है । इनमें से कुछ 2014 में है, कुछ 2015 में हैं और कुछ 2017 में हैं । यूएस प्राईवेट प्लेसमेंट की तर्ज पर जिससे हमने वर्ष 2007 में ऋण लिया था, यह 10 वर्ष के लिए था और वर्ष 2017 में 180 मिलियन डॉलर का भुगतान किया जाएगा । इसके अलावा अन्य तीन 300, 240 और 260 मिलियन डॉलर के ऋण हैं, जिनका भुगतान 2014 में किया जाएगा ।

वक्ता 19 : महोदय, आपके पुनर्भुगतान की दर औसत वार्षिक दर से बहुत कम थी । प्रारंभिक ऋण की प्रतिशतता के सापेक्ष वार्षिक पुनर्भुगतान प्रवृत्ति 16 से 18 प्रतिशत है । जबकि इस वर्ष यह 11 प्रतिशत रह गई । आपका इसके बारे में क्या कथन है ?

सतनाम सिंह : नहीं । जब हमने 18 वर्ष की अवधि के दीर्घावधि ऋण ताप विद्युत स्टेशनों के लिए और 24 वर्ष की अवधि के दीर्घावधि ऋण जल विद्युत स्टेशनों के लिए उनके ही स्थान पर जा कर देने आरंभ किए तो इनका पुनर्भुगतान वार्षिक आधार पर प्रभावी रूप से नीचे आने लगा । अब इसमें ज्यादा अंतर नहीं है । यह प्रतिशतता के आधार पर लगभग

बराबर है । परंतु चुंकि इस वर्ष वृद्धि दर पिछले वर्षों से कही ज्यादा रही है इसीलिए पुनर्भुगतान का प्रतिशत कम दिखाई दे रहा है । मान लीजिए कि यदि 31 प्रतिशत की दर से वृद्धि न हुई होती तो पुनर्भुगतान की दर अपेक्षाकृत अधिक प्रतीत होती, क्योंकि हम पहले से कहीं ज्यादा दर से आगे बढ़े हैं यह प्रतिशतता हमें कम लग रही है। अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं है । यह परिशोधन का मानक स्तर है ।

वक्ता 19 : धन्यवाद महोदय ।

मर्यादक : पीएफसी की ओर से मैं आप सभी का यहां पधारने के लिए आभार व्यक्त करता हूं । धन्यवाद । आपका दिन शुभ हो ।

.....